

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. देशराज सोनकर पुत्र हीरालाल सोनकर नि० ग्राम मरीकवन सीहागांव थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-105/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दिनेश सोनकर पुत्र छोटे लाल सोनकर निवासी धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-137/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बालकिशुन उर्फ गोरा पुत्र सेवक निवासी कलहंसन पुरवा (सेहरिया कला) थाना कौडिया जिला गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-97/22, 02. नसीब अली s/o शमी उल्ला नि० परसा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-98/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम डुमरियाडीह खटिकन पुरवा डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-140/22, 02. श्रीमती वासमती पत्नी नानबाबू निवासी ग्राम डुमरियाडीह खटिकन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/22, 03. अनिल पुत्र सोनू निवासी ग्राम डुमरियाडीह थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-142/22, 04. सोहन पुत्र पुदई निवासी ग्राम कोठा पण्डित पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-143/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अच्छेलाल पुत्र नानबच्चा गौतम निवासी ग्राम पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-102/22, 02. पवन कुमार पुत्र हरिराम गौतम निवासी ग्राम पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-103/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. छैलू पुत्र झिंगई निवासी ग्राम खिरौरा मोहन थाना को0 देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-204/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. धर्मपाल पुत्र राममिलन नि0 ग्राम लालेमऊ थाना को0 कर्नलगंज, गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-202/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम सुहेले पुत्र मिट्टू निवासी बरहपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-146/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट **मीडिया सेल, जनपद गोण्डा** **दिनांक 01.06.2022**

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना जुआ खेलते हुए 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल-700 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मनकापुर में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अजय कुमार पुत्र नान्हू निवासी ग्राम परसापुर थनवा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा
02. राधिका प्रसाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम परसापुर थनवा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा
03. उमेश चन्द्र पुत्र शीतला प्रसाद निवासी सतिया सिकन्दरपुर थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा
04. राहुल यादव पुत्र राजेन्द्र निवासी परसापुर थनवा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 179 / 22, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. हे0का0 विनय कुमार सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2022

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मन्नू वहेलिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मन्नू वहेलिया पुत्र शमशेर वहेलिया निवासी ग्राम डेलई पुरवा वसन्त पुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा
पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-97/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 सत्येन्द्र वर्मा मय टीम

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 01.06.2021 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामशंकर को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 240 अल्प्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुईं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामशंकर पुत्र सूर्यलाल नि0 खरगूपुर पुरानी बाजार, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 106/22, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 240 अवैध नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.06.2022

गैगेस्टर एक्ट का वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना करनैलगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 01.06.2022 को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त गुलजार पुत्र जाहिर अली निवासी ग्राम कोंचा कासिमपुर थाना करनैलगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त थाना करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 200/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गुलजार पुत्र जाहिर अली निवासी ग्राम कोंचा कासिमपुर थाना करनैलगंज गोंडा।

अभियोग-

01 मु0अ0स0 200/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मय टीम थाना करनैलगंज गोण्डा।